समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612-2219545 (का0)
फैक्स न0-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

-: आदेश :-

04-10-2013 आवेदक **डॉ0 बिकास चन्द चौधरी**, पिता-श्री महेन्द्र चौधरी, सा0-घोसवरी, थाना-बख्तियारपुर, जिला-पटना, स्थायी पता-ग्राम-मड़वा, थाना-बिहपुर (झण्डापुर), जिला-भागलपुर से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-135/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि-04.10.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-04.10.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे पी0एच0सी0, बाढ़ में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-142/गो0, दिनांक-29.01.2010 द्वारा संबंधित पदाधिकारी से जाँचोपरान्त आवेदक का अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र मूल में संलग्न कर भेजा गया है। आवेदक के स्थायी पते पर सत्यापन के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाय। पुलिस अधीक्षक, नवगछिया के ज्ञापांक-1416/गो0, दि0-13.05.2010 द्वारा आवेदक के स्थायी पते का सत्यापन कराया गया। जाँचोपरान्त पाया गया कि आवेदक के विरुद्ध थाना अभिलेख में किसी प्रकार का प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है। थानाध्यक्ष, बख्तियारपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक पी0एच0सी0, बाढ़ में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आवेदक सरकारी सेवक हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। साथ हीं थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक डॉ0 बिकास चन्द चौधरी, पिता–श्री महेन्द्र चौधरी, सा0–घोसवरी, थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना, स्थायी पता–ग्राम–मड़वा, थाना–बिहपुर (झण्डापुर), जिला–भागलपुर के आवेदित एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।